सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 4/2016

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

श्यामलाल बैरवा पुत्र रामनाथ बैरवा निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर

----प्रार्थी

♠बनाम♠

1. उगमा पुत्र किशना
2. छोटी बेवा रामदेव
3. भंवरी बाई पुत्री रामदेव
   समस्त जाति बैरवा निवासी कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तह.केकडी जिला अजमेर

-----अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 07.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वारा केम्प कालेडा कृष्णगोपाल में पेश हुई। वकील प्रार्थी/अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम कालेड़ा कृष्णगोपाल तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत 2069-72 के खाता नम्बर 228 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 129 व 130 कुल रकबा 0.79 हैक्ट, जो कि बालूराम, बजरंग पि रामचन्द्र, मीरा, मांगीदेवी पुत्रियां रामचन्द्र बैरवा सा. देह खातेदार दर्ज होकर जरिये बैचान के नामा. संख्या 818 दिनांक 07.08.2013 से खसरा नम्बर 129 रकबा 0.02 हैक्ट गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.62 हैक्ट से केता श्यामलाल पुत्र रामनाथ बैरवा साकिन केकड़ी के नाम अंकन स्वीकार हुआ। प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में आने-जाने का रास्ता आराजी खसरा नम्बर 131 रकबा 1.60 हैक्ट में से होकर आता-जाता रहा है। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी प्रार्थी की कयशुदा आराजी है जिसे अप्रार्थीगण 1 से 3 द्वारा बन्द कर दिया गया है। आराजी खसरा नम्बर 131 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है अतः प्रार्थी की अपनी कयशुदा आराजी में आने-जाने हेतु रास्ता चाहने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया अप्रार्थीगण की ओर से श्री मदनगोपाल चौधरी व मीठूसिंह राठौड एडवोकेट ने पावर पेश किया। अप्रार्थीगण का जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 4 ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के पेश की जो शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्षों की सुनी गई। विवरण निम्न प्रकार है-

बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया है कि वाके ग्राम कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत 2069-72 के खाता नम्बर 228 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 129 व 130 कुल रकबा 0.79 हैक्ट, जो कि बालूराम, बजरंग पि रामचन्द्र, मीरा, मांगीदेवी पुत्रियां रामचन्द्र बैरवा सा. देह खातेदार दर्ज होकर जरिये बैचान के नामा. संख्या 818 दिनांक 07.08.2013 से खसरा नम्बर 129 रकबा 0.02 हैक्ट गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.62 हैक्ट से केता श्यामलाल पुत्र रामनाथ बैरवा साकिन केकड़ी के नाम अंकन स्वीकार हुआ। प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में आने-जाने का रास्ता आराजी खसरा नम्बर 131 रकबा 1.60 हैक्ट में से होकर आता-जाता रहा है। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी प्रार्थी की कयशुदा आराजी है जिसे अप्रार्थीगण 1 से 3 द्वारा बन्द कर दिया गया है। आराजी खसरा नम्बर 131 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है। प्रार्थी की आराजी का रास्ता वर्तमान में बन्द है। प्रार्थी वर्तमान पंजीयन दर से रास्ते में जाने वाली भूमि के मालियत जमा राजकोष कराने को तैयार है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है।

बहस के दौरान अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब दावे में वर्णित तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा इसी आराजी पर आने-जाने के लिए रास्ते बाबत एक प्रार्थनापत्र पेश किया जो दिनांक 17.02.2016 तक विचाराधीन था जिस पर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में आने-जाने बाबत रास्ता प्रार्थी

के खातेदारी के आराजी के सामने खसरा नम्बर 134 की मेड पर होकर आता–जाता था एवं काश्त करना बताया है। अतः स्पष्ट है कि वादी की आराजी पर आने–जाने का रास्ता खसरा नम्बर 134 में से होकर पहले से आता–जाता था। अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से पुनः यह प्रार्थनापत्र पेश कर खसरा नम्बर 131 में से रास्ता चाहा गया है जो कतई गलत है। अप्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी का बंटवारा हो चुका है तथा पृथक–पृथक नामा. के जरिये पृथक–पृथक खाते हो चुके है। अतः प्रार्थी का प्रर्थनापत्र निरस्त होने योग्य है, इसे निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 ने मौका रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया कि प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 131 व 132 में से रास्ता चाहा है किन्तु खसरा नम्बर 132 सिवायचक में दर्ज है। इससे राजहित प्रभावित होता है। अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 126, 1847/125,125 व 131 में से रास्ता देने में सहमति दे रहे है। बतौर सहमति के प्रस्तुत मौका पर्चा पर अप्रार्थी 1 से 3 के बतौर सहमति के हस्ताक्षर अंकित है तथा 1 स्वतंत्र गवाह किशनलाल के भी हस्ताक्षर अंकित है। तथा प्रार्थी यदि वर्तमान पंजीयन दर से रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा 0.0664 हैक्ट का वर्तमान पंजीयन दर की दुगनी कीमत से राशि जमा राजकोष कराने पर रास्ता दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा दुगनी राशि जमा राजकोष कराने पर प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा स्वयं की आराजी में आने–जाने हेतु सिवायचक खसरा नम्बर 132 तथा खसरा नम्बर 126, 1847/125,125 व 131 में से रास्ता चाहा गया है जिसकी सहमति अप्रार्थीगण ने दी है। चूंकि प्रार्थी की आराजी में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रेमाफेसाई केस बनता है तथा प्रार्थना पत्र का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251ए राज. काश्तकारी अधि. का ग्राम कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर के जमाबन्दी संवत 2069–72 के खसरा नम्बर 126 में से रकबा 0.0068 मी., खसरा नम्बर 1847/125 में से रकबा 0.0256 मी. खसरा नम्बर 125 में से रकबा 0.0260 मी. खसरा नम्बर 131 में से रकबा 0.0080 मी. कुल रकबा 0.0664 हैक्ट का रास्ता दिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार निर्णय की पालना में राशि जमा राजकोष कर वर्तमान नक्शे में रास्ते की तरमीम कर पालना रिपोर्ट मय नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी